न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/226

देविका पुत्री रविन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन निवासी 16, गांधीपथ नेमीनगर वैशाली जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान

——अपीलांट

बनाम

1. जागीर सिंह आत्मज बिशन सिंह जाति सिक्ख निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. बिशन सिंह आत्मज जगसिंह जाति सिख निवासी बडानयागावं हाल उमरच तहसील व जिला बून्दी मृतक कायम मुकाम–
   2/1 हरभजन कौर पुत्री बिशनसिंह
   2/2 बलबीर कौर पुत्री बिशनसिंह
   2/3 कश्मीर कौर पुत्री बिशनसिंह
   जातियान सिख निवासीगण बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज.।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री प्रेमशंकर गोचर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 1 लगायत 2/3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 17.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 126/2024 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेसपोडेन्ट संख्या 1 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या 271 ख.सं. 255 रकबा 19 बिस्वा, ख.सं. 256 रकबा 8 बिस्वा ख.सं. 257 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, ख.सं. 258 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख. सं. 259 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा,

ख.सं. 260 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख.स. 308 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख.सं. 313 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा ख.सं. 314 रकबा 3 बिस्वा ख.सं. 315 रकंबा 1 बिस्वा ख.सं. 316 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ख.सं. 317 रकबा 1 बीघा ख.सं. 318 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख.सं. 319 रकबा 4 बीघा ख.सं. 320 रकबा 8 बिस्वा ख.सं. 322 रकबा 15 बिस्वा, ख.सं. 4003/321 रकबा 7 बीघा, ख.सं. 4005/323 रकबा 3 बिस्वा ख. सं. 4007 / 324 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 19 कुल रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बडा नया गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो वर्तमान अप्रार्थीनी देवीका पुत्री रवीन्द्र अग्रवाल के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 बिशन सिंह प्रार्थी के पिता है प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि दिनांक 20.5.2005 व दिनांक 28.6.2006 के पूर्व तक प्रार्थी के पिता बिशन सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी उक्त भूमि पूर्व में बिशन सिंह के पिता जगसिंह आ इन्द्रसिंह के नाम जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा 1962 में खातेदारी दर्ज किये जाने के कारण प्रार्थी की पेत्रिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी को जन्म से 1/2 हिस्से में हिन्दु उत्तराधिकार के तहत अधिकार प्राप्त हो गया है।प्रार्थी व अप्रार्थी बिशन सिंह की जाति मजहबी सिख है जो अनुसुचित जाति की श्रेणी में आती है जबकि अप्रार्थीनी देविका महाजन जाति के स्वर्ण जाति (सामान्य वर्ग) मे आती है धारा 42 राज टी एक्ट के तहत अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के द्वारा स्वयं के वर्ग के अलावा अन्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति के नाम भूमि अथवा अन्य सम्पति हस्तान्तरित नही की जा सकती है यदि हस्तान्तरित कर भी दी गई तो उक्त हस्तान्तरण शुन्य व अवैध होने से हस्तान्तरण ग्रहिता को हस्तान्तरित भूमि में किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है यदि भूमि हस्तान्तरण विलेख के द्वारा खाते दर्ज भी कर दी गई तों कि गई उक्त प्रविष्टी अवैध व शुन्य होने से निरस्त होने योग्य है रजिस्टर्ड हस्तान्तरण विलेख का उक्त वर्ग के खातेदार स्वामी हस्तान्तरण कर्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड ने साल 2005–2006 तक खातेदार के रूप में बिशन सिंह आ. जगसिंह कोम पंजाबी अंकित हो रहा था जबकि भारत वर्ष में पंजाबी नाम की कोई जाति नही है सामान्यत. पंजाब के अधिवासीयों को पंजाबी व राजस्थान के निवासीयों को राजस्थानी कहा जाता है लेकिन उक्त नाम से कोई जाति न तो रिकार्ड में दर्ज है और नही अस्तित्व में नही है राजस्व कर्मीयों के द्वारा पंजाब से राजस्थान में आकर बसे हुये व्यक्तियों के जाति राजस्व रिकार्ड में कई जगह पंजाबी अंकित कर रखी है जो गलत है अप्रार्थीनी देविका ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति पंजाबी अंकित होने का बेजा फायदा उताकर राजस्व कर्मीयों से मिली भगत कर अनुसुचित जाति के तथ्य को जानते हुये षड़यंत्र पूर्वक भूमि हड़प्प की नियत से साल 2005–2006 में प्रार्थी के पिता को बहला पुसलाकर प्रार्थना पत्र की चरण

(7)

संख्या 2 में वर्णित भूमि का विक्रय पत्र का पंजीयन स्वयं के नाम करवाकर विक्रय इन्तकाल खुलवाकर भूमि स्वयं के नाम खाते दर्ज करवाली है। तथा अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लेने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से भूमि का कब्जा लोटाने के लिए कहा तो अप्रार्थीनी ने अभी माह सितम्बर 2014 में कब्जा लोटाने से इन्कार कर दिया है। अप्रार्थीनी देविका के नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के बाबत् खोला गया इन्तकाल एवं राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप में देविका पुत्री रविन्द्र अग्रवाल के नाम का प्रविष्टी कानुनन अवैध व शुन्य है तथा उक्त अवैध विक्रय पत्र एवं इन्तकाल के आधार पर खातेदार के रूप में हों रही प्रविष्टी निरस्त होने योग्य है उक्त अवैध प्रविष्टी से अप्रार्थीनी देविका को वादग्रस्त भूमियों के बाबत किसी भी प्रकार का अधि कार प्राप्त नही होते है। प्रार्थी को अधिकार है वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमिया पेत्रिक होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से अधिकार होने के आधार पर 1/2 हिस्सा भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावें तथा भूमियों का बंटवारा करवाकर अलग खाता कायम करावें तथा अप्रार्थीनी देविका को वादग्रस्त भूमि मे से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करे एवं दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि को रहन, बैचान, भारग्रस्त व खुर्द बुर्द नही करे तथा भूमि के वर्तमान रिकार्ड में परिवर्तन नही करे। वाद के विचारण में विलम्ब होने की सम्भावना है अप्रार्थीनी एवं उसके प्रतिनिधि विवादित भूमियों को रहन, बैचान, भारग्रस्त एवं अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है इस हेतु प्रार्थी को धमकी भी दी जा रही है ऐसी स्थिति में दौरानें वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा अप्रार्थीगण अपने अवैध कृत्य में सफल हो जायेगें जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी अपने पेत्रिक सम्पति से महरूम हो जायेगा एवं प्राथी का वाद पेश करना ही बैकार हो जायेगा तथा वाद बहुलता बढेगी।क प्रथम दृष्टया केश एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाने से अप्रार्थीगण को कोई हानी नही हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौरानें वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि को रहन, वैचान, भारग्रस्त व खुर्द बुर्द नही करे तथा भूमि के वर्तमान रिकार्ड में परिवर्तन नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान किया जावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 03.07.2024 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते बढ़ाये जाने स्थगन प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते बढ़ाये जाने स्थगन स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.07.2024 वस्तुस्थिति व विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत होने से तथा उसमे वाकयाती त्रुटि होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना ही नही गया और न ही अपीलांट को उस दिन उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस ही जारी किए गए और बिना अपीलांट की सुनवाई किये ही और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से और बिना सुनवाई किये ही पारित करने से निरस्तनीय है। रेस्पोंडेंट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाने पर उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी खारिज फरमा दिया गया था। और उक्त वाद में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील मे पारित आदेश पर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत कोई पेशी नियत नही की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्राप्त होने पर पक्षकारान को सुनवाई बाबत् नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे और तत्पश्चात् ही प्रकरण मे सुनवाई की जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई बाबत् कोई नोटिस जारी

कोटा

नही किये गये और एक तरफा आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3–7–2024 को उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया था लेकिन दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किये और रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा०दी० पर अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किये गये और एक तरफा सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुरूप तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अनुपालना में आदेश प्रसारित करने से पूर्व उस पर पक्षकारान की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उपस्थिति बाबत अथवा सुनवाई बाबत कोई नोटिस ही जारी नही किये और विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 3–7–2024 निरस्त फरमाने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वह भी अपीलाण्ट को प्रदान की जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा, अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थना पत्र संख्या 39/2015 बउनवान जागीर सिह बनाम देविका अग्रवाल में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26–02–2015 को अपीलांट के खाते की भूमि के बाबत रहन, बैचान नहीं करने का स्थगन आदेश पारित किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये वादीगण रेस्पोडेन्टगण का वाद दिनांक 07–04–2021 को खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश की अपील वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के यहां प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई करते हुये न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 29–12–2023 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07–04–2021 को खारिज कर दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पेशी नियत कर दी गई। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली का आदेश निरस्त कर दिये जाने से पूर्व में दिनांक 26–02–2015 को जारी किया गया स्थगन आदेश वापस प्रभावी हो गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के आदेश दिनांक

29–12–2023 के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिस पर भी वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वादविषयक भूमि बाबत दिनांक 14–06–2024 तक स्थगन आदेश जारी किया गया परन्तु अपीलान्ट देविका अग्रवाल द्वारा दिनांक 11–06–2024 को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील अपील को विड्रो कर लिया गया। इस प्रकार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली का आदेश दिनांक 26–02–2015 यथावत रह गया उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। प्रतिवादी अपीलांट उक्त भूमि को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त करने पर आमादा है मौके पर वादीगण सिंह काबिज है इसलिए किसी प्रकार का विवाद न हो, मौके के यथास्थिति बनाये रखना भी न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पूर्व में जारी स्थगन आदेश को बढ़ाये जाने का आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2004 पेज 749 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से मूलवाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 03.07.2024 को ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. वास्ते बढ़ाये जाने स्थगन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांटगण को कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की एकपक्षीय सुनवाई करते हुए पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 26.02.2015 को स्वतः ही

प्रभावी होना मानकर स्थगन आदेश बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सूचित किए तथा बिना सुनवाई किए प्रश्गनत आदेश दिनांक 26.02.2015 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस/सूचना–पत्र जारी किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किए जाने के उपरांत अपीलांटगण एवं अन्य पक्षकारान को कोई नोटिस/सूचना–पत्र जारी नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना किए बिना ही अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 03.07.2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 126/226 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.04.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21.02.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 17.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा